संख्या–1810/79–5–2017–15(149)/2010

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर, 2017

विषयः **उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का वर्ष 2017–18 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक–बे0शि0प0/10755–56/2017–18, दिनांक 18.08.2017 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए शासनादेश संख्या–1078/79–5–2016–15(149)/2010, दिनांक 13.06.2017 द्वारा निर्गत अन्तर्जनपदीय (जनपद के बाहर) स्थानान्तरण नीति में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण नीति दिनांक 13.06.2017 में निम्नवत् संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

(1) शासनादेश दिनांक 13.06.2017 में उल्लिखित न्यूनतम संतोषजनक सेवा की समय सीमा 05 वर्ष दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। विकलांगता के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी उसका लाभ उन्हें देय होगा।

(2) शासनादेश दिनांक 13.06.2017 में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल (सी0पी0एम0एफ0) यथा बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आई0एस0एफ0, एस0एस0बी0 एवं एन0डी0आर0एफ0 तथा थल, वायु एवं जल सेना के कार्मिकों की आश्रित पत्नियों पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा की समय सीमा लागू नहीं होगी, बशर्ते उनके नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल/भारतीय सेना में कार्यरत हैं।

उक्त दोनों प्रकरणों में संबंधित जनपद में रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही लाभ अनुमन्य होगा।

2/...

Transfer-Letter.doc

3– शासनादेश संख्या–1078/79–5–2016–15(149)/2010, दिनांक 13.06.2017 द्वारा निर्गत अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति 2017–18 की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

मम 20.9.17

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0/निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।